संख्या:4/2021/18/35-04-2021

प्रेषक,

विवेक,
विशेष सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में

जिलाधिकारी,
चित्रकूट।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ:दिनांक 08 जनवरी,2021

विषय: मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा के क्रम में वित्तीय वर्ष 2018-19 में त्वरित आर्थिक विकास योजनांतर्गत प्रत्येक विधान सभा क्षेत्रों में रू0 5.00 करोड़ के कार्यों हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या:170/2019/486/35-4-2019 दिनांक 22 फरवरी, 2019 द्वारा जनपद चित्रकूट के विधान सभा क्षेत्र-मानिकपुर से संबंधित 03 कार्यों की लागत रू0 499.77 लाख पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 339.24 लाख की धनराशि आपके निवर्तन पर रखी गई थी। उक्त शासनादेश द्वारा स्वीकृत 03 कार्यों में से 01 कार्य यथा ''बहिलपुरवा रेलवे स्टेशन से नई दुनिया रूकमा सम्पर्क मार्ग (लेपन कार्य)' हेतु स्वीकृत लागत के सापेक्ष पूर्ण धनराशि अवमुक्त की गई थी। अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के पत्र संख्या:23/ग्रा0अ0वि0/त्व0आ0वि0यो0पत्रा0/2020-21, दिनांक 29 जून, 2020 द्वारा प्रश्नगत कार्य हेतु भूमि की लागत एवं अन्य देयकों हेतु रू0 32,52,583/- लाख की अतिरिक्त धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया। त्वरित आर्थिक विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत केवल पूंजीगत निर्माण कार्यों के लिए ही धनराशि अनुमन्य है, भूमि अध्यासि की लागत एवं राजस्व व्यय /अनुरक्षण व्यय से संबंधित मदें अनुमन्य नहीं है। एतद्द्वारा उक्त शासनादेश द्वारा स्वीकृत कार्य यथा ''बहिलपुरवा रेलवे स्टेशन से नई दुनिया रूकमा सम्पर्क मार्ग (लेपन कार्य)'' की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निरस्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 22 फरवरी, 2019 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।
2. शासनादेश दिनांक 22 फरवरी,2019 द्वारा प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि रू0 88.84 लाख राजकोष में संगत लेखाशीर्ष में जमा की जायेगी।

भवदीय,

(विवेक)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या:4/2021/18(1)/35-04-2021, तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- प्रधान महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखा परीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव, वित्त् एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0शासन।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।
5- प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0मुख्य मंत्री जी, उ0प्र0शासन।
6- प्रमुख सचिव, विधान सभा, उ0प्र0
7- निजी सचिव, मा0मुख्य मंत्री जी, उ0प्र0शासन।
8- मण□लायुक्त, चित्रकूट धाम।
9- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0/मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।
10- मुख्य विकासअधिकारी, चित्रकूट।
11- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चित्रकूट।
12- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, चित्रकूट।
14- अधिशासी अभियंता, लो0नि0वि0/ग्रा0अ0वि0, चित्रकूट।
15- अनु सचिव, मुख्य मंत्री घोषणा प्रकोष्ठ, उ0प्र0
16- गार्□ फाईल।

आज्ञा से,

(विवेक)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।